

प्रेषक,

आर० पी० सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 26 जुलाई, 2021

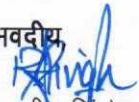
विषय- चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दांयी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष अर्थात् कुल 87722 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपने पत्रांक-264/11-सी-एफपी/यूपी/Road/121197/2021, दिनांक 23.07.2021 एवं पत्र दिनांक 23.07.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दांयी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष अर्थात् कुल 87722 वृक्षों के पातन की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव के साथ संलग्न सूची के अनुसार अभिलेखों के मिलान के अनुसार पाया गया कि जनपद गाजियाबाद की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में वृक्षों की संख्या अंकित नहीं की गई है। संलग्न विवरण में वृक्षों की संख्या 4573 अंकित की गई है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रस्ताव में उपलब्ध करायी गई वृक्षों के विवरण एवं आख्या में भिन्नत है। अतः कृपया प्रश्नगत प्रस्ताव में जनपद गाजियाबाद की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में वृक्षों की संख्या एवं वृक्षों के सम्पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव शासन को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर० पी० सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. वन संरक्षक, सहारनपुर एवं मेरठ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)
अनु सचिव

प्रेषक,

आर० पी० सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 26 जुलाई, 2021

विषय- चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष अर्थात् कुल 87722 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपने पत्रांक-264/11-सी-एफपी/यूपी/Road/121197/2021, दिनांक 23.07.2021 एवं पत्र दिनांक 23.07.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष अर्थात् कुल 87722 वृक्षों के पातन की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव के साथ संलग्न सूची के अनुसार अभिलेखों के मिलान के अनुसार पाया गया कि जनपद गाजियाबाद की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में वृक्षों की संख्या अंकित नहीं की गई है। संलग्न विवरण में वृक्षों की संख्या 4573 अंकित की गई है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रस्ताव में उपलब्ध करायी गई वृक्षों के विवरण एवं आख्या में भिन्नतः है। अतः कृपया प्रश्नगत प्रस्ताव में जनपद गाजियाबाद की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में वृक्षों की संख्या एवं वृक्षों के सम्पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव शासन को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर० पी० सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. वन संरक्षक, सहारनपुर एवं मेरठ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)
अनु सचिव